पत्रांक। डी.एम. वी-1 बा-/79/2014 9458(भ)

**बिहार सरकार**
**भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 23.9.16

**विषय : भवन निर्माण विभाग के कार्य प्रमंडलों द्वारा सरकारी भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के प्रबंधन में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के संबंध में।**

महाशय,

भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को यह निर्देशित किया गया है कि भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य में अत्यधिक खुलापन एवं पारदर्शिता बरती जाय।

अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण आपकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। तद्नुसार खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु निम्नवत कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय –

1. किसी भी भवन में कार्य तभी आरंभ होने चाहिए जब आपके स्तर से प्राथमिकता निर्धारित हो जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके निविदा निष्पादित हो जाए। किसी भी हालत में बिना निविदा निष्पादन के प्रत्याशा में कार्य आरंभ नहीं होने चाहिए।

2. प्राक्कलन की प्रति आवासी/कार्यालय प्रधान को उपलब्ध करायें। संबंधित प्राक्कलन की एक प्रति यदि सरकारी कार्यालय है तो कार्यालय प्रधान को और यदि आवास है तो आवंटी को कार्यारंभ करने से पहले उपलब्ध करा दी जाए ताकि वे अवगत हो लें कि संबंधित भवन में कौन से कार्य होने हैं।

3. कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र :– विभाग का यह निर्देश है कि किये जाने वाले कार्य के विपत्र भुगतान के पूर्व कार्यालय प्रधान/आवंटी से कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए। कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र को विपत्र के साथ लगाया जाय। तदोपरान्त कोषागार में विपत्र उपस्थापित किया जाय। निर्देश है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु कोषागार को निर्देशित किया जाय।

Scanned by CamScanner

4. <u>अनुरक्षण एवं मरम्मति की MIS में प्रविष्टि</u> :– विभाग द्वारा सभी कार्यों के अनुश्रवण के लिए एक Project Management Information System विकसित किया गया है। पूर्व से योजना मद का इस व्यवस्था से अनुश्रवण होता है। लेकिन इस वर्ष से अनुरक्षण से संबंधित मद का भी इस व्यवस्था से अनुश्रवण सुनिश्चित करें। आपके द्वारा निर्धारित प्राथमिकता की सभी योजनाओं की प्रविष्टि इसमें हो। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी कर दिया जाय ताकि संबंधित पदाधिकारी एवं जन साधारण भी इससे अवगत हो लें।

5. अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यों की पुस्तिका का प्रकाशन :– वित्तीय वर्ष के अंदर जिन भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य कराया जाता है उसकी पुस्तिका प्रकाशित करके जन प्रतिनिधियों को वितरित कराया जाय।

विश्वासभाजन

23.9.16

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9458(अ)/पटना, दिनांक 23.9.16

प्रतिलिपि : सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को अनुपालनार्थ प्रेषित।

23.9.16

प्रधान सचिव

Scanned by CamScanner